


901

आदेश,


हरियाणा सरकार की हिदायत अनुसार उपायुक्त कार्यालय द्वारा COVID-19 से सम्बंधित जो भी पत्र/आदेश जारी किए जाते हैं, उन सभी पत्र/आदेशों को haraadsh.nic.in पोर्टल पर भी अपडेट किया जा रहा है। कन्ट्रोल रूम न0 114 में नियुक्त नोडल अधिकारी उक्त कार्य के लिए डायरी डिस्पैच पर कार्यरत अपने अधीनस्थ कम्प्युटर ऑपरेटर/सम्बंधित कर्मचारी की ड्यूटी लगाए ताकि सम्बंधित पत्र/आदेश को पोर्टल पर अपडेट किया जा सके। यदि कम्प्युटर ऑपरेटर/सम्बंधित कर्मचारी द्वारा COVID-19 से सम्बंधित पत्र/आदेश को haraadsh.nic.in पोर्टल पर अपडेट नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उपरोक्त कार्य के लिए श्री अनिल कुमार (मो.न0-9588391678) और श्री हरीश (मो.न0-9991660559) कम्प्युटर ऑपरेटर को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, ये दोनों ऑपरेटर सुनिश्चित करे कि इनके पश्चात दुसरी शिफ्ट में जो भी ऑपरेटर ड्यूटी के लिए आते हैं, उसको इस कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण और यूजरनेम प्रदान करे ताकि वह ऑपरेटर haraadsh.nic.in पोर्टल पर सम्बंधित पत्र/आदेश अपडेट कर सके।


संजीव कुमार, एच0सी0एस0
नगराधीश, रेवाडी।
कृते: उपायुक्त, रेवाडी।

पृ0 क्रमांक : 9586-90/covid-19 दिनांक : 23-04-2020
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, रेवाडी।
2. नोडल अधिकारी, COVID-19, कन्ट्रोल रूम न0 114
3. स्टैनोग्राफर, उपायुक्त, रेवाडी/ आशुलिपिक, नगराधीश, रेवाडी।
4. सम्बंधित कर्मचारी।


संजीव कुमार, एच0सी0एस0
नगराधीश, रेवाडी।
कृते: उपायुक्त, रेवाडी।